सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु साउथ ऑस्ट्रेलिया में वैध है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का अर्थ है कि कुछ लोग जो बहुत बीमार होते हैं, वे दवा के प्रयोग के साथ अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने के लिए डॉक्टरों से मदद माँग सकते हैं।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु 'आत्म-हत्या' या खुद अपने प्राण लेने के समान नहीं है।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए नियम

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु और कौन इसे प्राप्त कर सकता है, इससे सम्बन्धित कई नियम हैं।

आपको अपनी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए खुद निवेदन करना होगा।

कोई भी आपको सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की माँग करने के लिए विवश नहीं कर सकता है।

डॉक्टरों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा दें।

नियम सुनिश्चित करते हैं कि

- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सुरक्षित है।
- आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा केवल तभी प्राप्त करते/ती हैं यदि आप यह चाहते/ती हैं।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाने के लिए, यह ज़रूरी है कि:

- आपको ऐसी बीमारी है जो दूर नहीं होगी
- आपको ऐसी बीमारी है जिससे बहुत भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक पीड़ा होती है
- आपको ऐसी बीमारी है जिससे 6 महीने से कम अवधि में, या कुछ रोगों के लिए 12 महीने से कम अवधि में आपकी मृत्यु हो जाएगी
- आपकी आयु 18 साल से अधिक है
- आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी हैं
- आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहते/ती हैं और कम से कम 12 महीनों से यहाँ के निवासी हैं
- खुद से अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं।

आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्राप्त नहीं कर सकते/ती हैं यदि

- आपको केवल मानसिक रोग है
- आपको केवल विकलाँगता है
- आप खुद से अपने फैसले नहीं ले सकते/ती हैं
- आप बीमार नहीं हैं।

जानकारी और सहायता के लिए

ऐसी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सेवाएँ हैं जो उन लोगों की सहायता कर सकती हैं जो सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाना चाहते हैं। वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए चरणों के साथ परिवार, मित्रों और देखभालकर्ताओं, तथा डॉक्टरों की सहायता भी कर सकती हैं। सहायता सेवाएँ लोगों को जानकारी और सहायता देती हैं। आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सेवाओं से ई-मेल और फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते/ती हैं:

सोमवार से शुक्रवार: सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
ई-मेल: Health.VADCareNavigators@sa.gov.au
फ़ोन: 0403 087 390

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाने के 11 चरण

1. **आप पहली बार अपने डॉक्टर से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन करते/ती हैं।**
2. **आपका डॉक्टर सुनिश्चित करेगा कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाने के लिए आप सभी नियमों को पूरा करते/ती हैं।**

यदि कोई डॉक्टर आपके निवेदन से इंकार करता है, तो आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को निवेदन कर सकते/ती हैं। यदि डॉक्टर इससे सहमत है, तो वही वह डॉक्टर होंगे जो सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाने में आपकी मदद करेंगे।

3. **किसी अन्य डॉक्टर को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाने से जुड़े सभी नियमों को पूरा करते/ती हैं।**
4. **आपको एक फॉर्म में लिखना होगा कि आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाना चाहते/ती हैं।**

यह ज़रूरी है कि दो लोग आपको फॉर्म लिखते और इसपर हस्ताक्षर करते हुए देखें। यदि आप फॉर्म पर लिख या इसपर हस्ताक्षर नहीं कर सकते/ती हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए इसपर लिख सकता है।

5. **जब आप फॉर्म भर लेंगे, तो आपको फिर से अपने डॉक्टर से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पाने के लिए पूछना होगा।**

आपके द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के पूछने का अंतिम समय आपके द्वारा इसके लिए पहली बार पूछे जाने के 9 दिन बाद ही हो सकता है, बशर्ते कि आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपको और जल्दी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्राप्त करने की ज़रूरत है।

6. **आपको एक 'संपर्क व्यक्ति' का चयन करना होगा।**

यह ज़रूरी है कि संपर्क व्यक्ति की आयु 18 साल या इससे अधिक हो। यह व्यक्ति उस स्थिति में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए दवा को वापस करने में आपकी सहायता करेगा यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते/ती हैं।

7. **आपका डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम जाँच करेगा कि क्या आप सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पा सकते/ती हैं या नहीं।**

यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी समय अपना मन बदलने और सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु न पाने का फैसला ले सकते/ती हैं।

8. **डॉक्टर को सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए आपको दवा देने के लिए एक परमिट लेना होगा।**

परमिट एक पत्र है जो व्यक्ति को कुछ विशिष्ट काम करने की अनुमति देता है।

9. **आपको फॉर्मासिस्ट से दवा मिलेगी।**
10. **फिर आप अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के लिए दवा का सेवन कर सकते/ती हैं।**

यदि आप खुद दवा का सेवन करने में असक्षम हैं, तो डॉक्टर इसमें आपकी मदद करेगा। यदि ऐसा होता है, तो किसी अन्य व्यक्ति या 'गवाह' को उपस्थित होना होगा। आपके द्वारा चुने संपर्क व्यक्ति को वह दवा फॉर्मासिस्ट को वापस करनी होगी जिसका प्रयोग आपने नहीं किया है।

11. **आपका परिवार और मित्र आपके डॉक्टर को बताएँगे कि आपकी मृत्यु हो गई है और आपका डॉक्टर मृत्यु को आधिकारिक या 'प्रमाणित' बनाने के लिए कदम उठाएगा।**

प्रमाणित करने का अर्थ है कोई आधिकारिक दस्तावेज़ बनाना जिसमें यह दर्शाया जाए कि कोई चीज़ नियमों को पूरा करती है। दस्तावेज़ में यह लिखा जाएगा कि आपकी मृत्यु आपकी बीमारी के कारण हुई है न कि सहायता-प्राप्त इच्छामृतु के कारण।

और अधिक जानकारी के लिए

आधिकारिक

Health Services Programs Branch
Department for Health and Wellbeing
Health.VoluntaryAssistedDying@sa.gov.au
www.sahealth.sa.gov.au/VAD

Hindi / हिन्दी

Government of South Australia
SA Health

© Department for Health and Wellbeing, Government of South Australia. All rights reserved.